महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक : रू.वि./सम्ब. /2018/6185-94 दिनांक: 30.05.2018

सेवा में,

प्रबन्धक / सचिव
माया देवी कन्या महाविद्यालय,
ग्राम भैंसड़ा, सम्भल।

विषयः संस्था माया देवी कन्या महाविद्यालय, ग्राम भैंसड़ा, सम्भल को स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत बी.ए. (हिन्दी, अंग्रेजी, भूगोल, गृहविज्ञान, राजनीतिशास्त्र, उर्दू व समाजशास्त्र) पाठ्यक्रमों / विषयों में सम्बद्धता की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्राविधानों के आलोक में तथा शासनादेश सं. सम्ब–1145/सत्तर–2–2014–16(258) /2013 दिनांक 01.08.2014 के अनुपालन में पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यकम तथा नवीन महाविद्यालयों के सम्बद्धता प्रस्तावों पर विचार करने हेतु सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 30.05.2018 को आहूत की गयी। सम्बद्धता समिति द्वारा की गयी संस्तुति का कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्था **माया देवी कन्या महाविद्यालय, ग्राम भैंसड़ा, सम्भल को स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत बी.ए. (हिन्दी, अंग्रेजी, भूगोल, गृहविज्ञान, राजनीतिशास्त्र, उर्दू व समाजशास्त्र) पाठ्यकमों / विषयों में** दिनांक 01.07.2018 से **अग्रेत्तर** सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। उक्त कमियों / शर्तों की पूर्ति नहीं होने की दशा में सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

01. महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार शिक्षण सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जाय अन्यथा कि स्थिति में छात्रों का प्रवेश स्वतः प्रतिबन्धित रहेगा। मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश सं0 522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही सुनिश्चित किया जायेगा।

02. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित प्रावधानों / उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रादधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी

03. संस्थान / महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता / समबद्धता आदेश में उल्लिखित कमियों प्राचार्य / प्रवक्ताओं की नियुक्ति / अनुमोदन तथा प्रबन्ध समिति का चयन कर दिनांक 30.06.2018 तक विश्वविद्यालय से अनुमोदित करा लिया जाये एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रहा है।

04. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि संबंधित अभिलेख / सूचना कूटरचित अथवा असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

05. कक्षा संचालन से पूर्व कुलपति महोदय द्वारा नामित सदस्य के माध्यम से मूलभूत आवश्यकताओं के परीक्षण हेतु स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा।

06. संस्था का उपयोग शिक्षणकार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों में नहीं किया जायेगा एवं संस्था परिसर को रैगिंग से मुक्त रखेगी।

07. समस्त महाविद्यालयों को 100 रूपयें के शपथ पत्र पर महाविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यकमों व व्याख्यान कक्षों व प्रयोगशाला का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिन महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर प्रयोगात्मक विषयों में

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक : रू.वि. / सम्ब. / 2017 / 512

दिनांक . 28.08.2017

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या / प्रबन्धक
माया देवी कन्या महाविद्यालय,
भैंसोडा, पोस्ट युसुफपुर नगलिया,
सम्भल।

महोदय / महोदया,

कृपया अपने पत्रांक दिनांक 17.07.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपने कुलपति महोदय द्वारा नामित विषय विशेषज्ञों की उपस्थिति में साक्षात्कार के आधार पर अपनी संस्था में चयन हेतु संस्तुत किये गये प्रवक्ताओं / प्राचार्य को अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है। उक्त के आलोक में कुलपति महोदय द्वारा निम्नलिखित प्रवक्ताओं / प्राचार्य का अनुमोदन प्रदान किया गया है –

क्र.सं.	चयनित अभ्यर्थी	प्रवक्ता / विषय	आधार न0
1.	डॉ० आनन्द स्वरूप शर्मा	गणित	966094121904
2.	डॉ० शशि रूहेला	जन्तु विज्ञान	929760448126
3.	डॉ० बृज किशोर तिवारी	रसायन विज्ञान	38988357274
4.	डॉ० प्रदीप कुमार	भौतिक विज्ञान	382753074386
5.	डॉ० आकांक्षा भारद्वाज	वनस्पति विज्ञान	424909317058

अतः उपरोक्त प्रवक्ताओं / प्राचार्य को शासनादेश संख्या 2443 / सत्तर–2–2002–2(85) / 97 दिनांक 09.05.2000 के अनुसार नियुक्ति पत्र प्रदान करें। अनुमोदित प्रवक्ताओं के नियुक्ति पत्र की प्रति, कार्यभार आख्या, अनुबन्ध पत्र / शपथ पत्र फोटो सहित विश्वविद्यालय में अभिलेखार्थ प्रस्तुत करें।

भवदीय

कृते कुलसचिव